सत्यमेव जयते

स्वामित्व

(गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण)

Panchayati Raj

मेरी सम्पत्ति मेरा हक

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	02
सुधार की आवश्यकता	03
व्यापक उद्देश्य	04
स्वामित्व योजना में विभिन्न चरणों की झलक	05
संपत्ति कार्ड के नमूने	06
स्वामित्व में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है - सी.ओ.आर.एस, ड्रोन, डिजी-लॉकर और डैशबोर्ड	08
कवरेज	12
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ	14
संपत्ति के मालिकों और ग्रामीण परिदृश्य के लिए लाभ	15
सफलता की कहानियां	18
ग्रामीण भूमि और संपत्ति: स्वामित्व से पहले और बाद में	22
संपत्ति कार्ड वितरण	23
समर्थन	25

भूमि और घरों का स्वामित्व देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब परिसम्पत्ति रिकॉर्ड होता है, तो नागरिकों का विश्वास बढ़ता है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रस्तावना

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से गांव का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण) की ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत आबादी परिसम्पत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के पायलट चरण का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को किया गया।

ग्रामीण आबादी भूमि का सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), राज्य राजस्व विभागों और राज्य पंचायती राज विभागों के सहयोगात्मक प्रयासों से ड्रोन सर्वेक्षण प्रौदेयोगिकी का उपयोग करते हुए किया जाता है। यह परिसम्पत्ति कार्डों/ हक विलेखों के रूप में गांव के गृह स्वामियों को "अधिकारों का रिकार्ड" प्रदान करेगा।

अध्याय 1

सुधार की आवश्यकता

स्वतंत्रता के बाद से, ग्रामीण भूमि के सरकारी सर्वेक्षण कृषि भूमि तक ही सीमित रहे हैं। कई राज्यों में गांवों के बसे हुए क्षेत्र - जिन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में "आबादी" भूमि के रूप में जाना जाता है, पंजाब और हरियाणा में "लाल डोरा" भूमि, महाराष्ट्र और गुजरात में "गौठान" भूमि के रूप में जाना जाता है - बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों के दायरे से बाहर रह गए हैं।

जिसके परिणाम स्वरूप, भारत में कई ग्रामीण समुदायों के पास अधिकारों का रिकॉर्ड नहीं है, और "आबादी" क्षेत्र में भूमि पर स्वामित्व का उनका दावा काफी हद तक संपत्ति के वास्तविक कब्जे पर निर्भर करता है। एक कानूनी दस्तावेज के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, राज्य भू-राजस्व संहिता/अधिनियमों में संशोधन द्वारा समर्थित घर के मालिक को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए, ग्रामीण परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है।

व्यापक उद्देश्य

सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाकर कुशल ग्रामीण नियोजन को सक्षम बनाना

गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने में लोगों की सहायता करना

बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान करना

संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने में मदद

ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर का निर्धारण

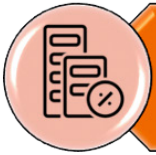

मानचित्रण और स्थानीय सेवाओं के लिए स्टेशनों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना

अध्याय 3

स्वामित्व योजना में विभिन्न चरणों की झलक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सी.ओ.आर.एस स्टेशन सेटअप

ग्राम सभा का आयोजन

आई. ई. सी. - वॉल पेंटिंग

जमीन पर अंकन

निश्चित बिंदुओं की स्थापना

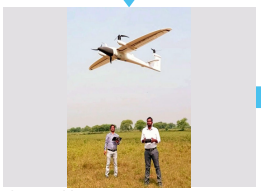

ड्रोन सर्वेक्षण

फ़ीचर निष्कर्षण

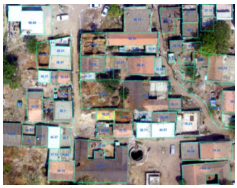

मानचित्रों का निर्माण

विवाद समाधान

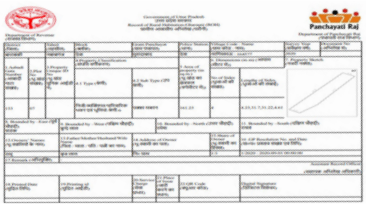

अंतिम संपत्ति कार्ड का नमूना उत्पन्न

संपत्ति कार्ड के नमूने

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ
ಕರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆ

ಪು.ಸಂ; 1/2

ಜಿಲ್ಲೆ :	ತಾಲ್ಲೂಕು:	ಗ್ರಾಮ	ಮಜರೆ
ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	**M G Palya**	**Seebakatte**

1. ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ		**2.** ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಮೀ)		**3.** ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ನೆಲೆ
ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ವತ್ತಿನ ಐಡಿ (ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರಕಾರ)	ನಿವೇಶನ	ಕಟ್ಟಡ	ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಠಾಣ/ಮಜರೆ
19	**152900400901800190**	**183.42**	**80.28**	ಹೊರಗೆ
4. ಸರ್ವೆ ನಂ ಖಾಸಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ		**5.** ಸರ್ವೆ ನಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ		
ಭೂಪರಿವರ್ತನಾ ಆದೇಶ	ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ	ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	
6. ಸ್ವತ್ತಿನ ತರಹೆ	ಖಾಸಗಿ	**7.** ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ	ವಸತಿ	

8. ಸ್ವತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆ	**9.**ಸ್ವತ್ತಿನ ನೆರೆ ನೋಟ

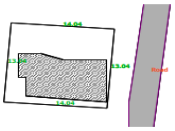

10. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವರ					
ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರು	ಸಂಬಂಧ ಕೋಂ/ಬಿನ್	ತಂದೆ /ತಾಯಿ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು	ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ತರಹೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಕ್ಕು ಆರ್ಜಿಸಿದ ರೀತಿ	ಎಂ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಲಲಿತಮ್ಮಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ					
11.ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ತರಹೆ	ಸ್ವಂತ	ಬಾಡಿಗೆ / ಗುತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಹೆಸರು –ಸಂಬಂಧ-ತಂದೆ/ ತಾಯಿ /ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಲಲಿತಮ್ಮಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ			
12. ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು					
13. ಋಣಭಾರಗಳು					
14. ಷರಾ					

कर्नाटक

मालमत्ता पत्रक

जिल्हा	तालुका / तहसील		गावाचे नाव / नगर
अहमदनगर	राहुरी		मल्हारवाडी
नगर भुमापन क्रमांक	क्षेत्रफळ (चौरस मिटर)	धारणाधिकार	शासनाला दिलेल्या आकारणीचा किंवा भाड्याचा तपशील व त्याच्या फेरतपासणीची नियत वेळ
4	711.00	अ	
सुविधाधिकार			
हक्काचा मूळ धारक (शोधून काढला जाईल तेथवर) वर्ष: 2020	मल्हारी नाना जाधव		
पटटेदार			
इतर भार			
इतर शेरा			

दिनांक	व्यवहार	खंड क्रमांक	नवीन धारक(एच) पट्टेदार (एल) किंवा भार (इ)	साक्षांकन

महाराष्ट्र

Government of Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश सरकार
Record of Rural Habitation-Gharauni (ROH)
ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी)

Department of Revenue
(राजस्व विभाग)

Panchayati Raj

Department of Panchayati Raj
(पंचायती राज विभाग)

District (जिला)	Tahsil (तहसील)	Block (ब्लॉक)	Gram Panchayat (ग्राम पंचायत)	Police Station (थाना)	Village Code : Name (ग्राम कोड : नाम)	Survey Year (सर्वेक्षण वर्ष)	Document No (अभिलेख सं)
बाराबंकी	नबाबगंज	देवा	मुरादाबाद	देवा	नरगिसमऊ : 164577	2020	

1.Aabadi Gata Number (आबादी गाटा संख्या)	2.Plot No (भू-खंड संख्या)	3.Property Unique ID No (भू-खंड यूनिक आईडी ने)	4.Property Classification (संपत्ति वर्गीकरण)		5 Area of property (in sq.m.) (भू-खंड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में))	6. Dimensions (in m) (आयाम (मीटर में))		7. Property Sketch (नजरी नक्शा)
			4.1 Type (श्रेणी)	4.2 Sub Type (उप श्रेणी)		No of Sides (भुजाओं की संख्या)	Lengths of Sides (भुजाओं की लंबाई)	
133	67		निजी/व्यक्तिगत/पारिवारिक भवन एवं भूमियां-श्रेणी-6	पक्का मकान	161.23	4	4.23,31.7,31.22,4.61	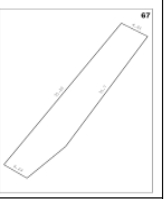

8. Bounded by –East (पूर्व चौहद्दी)	9. Bounded by –West (पश्चिम चौहद्दी)	10. Bounded by –North (उत्तर चौहद्दी)	11. Bounded by –South (दक्षिण चौहद्दी)
सडक	बुन्दे लाल	रमेश	रास्ता

12.Owners' Names (भू-स्वामियों के नाम)	13.Father/Mother/Husband/Wife Name (पिता / माता / पति / पत्नी का नाम)	14.Address of Owner (भू-स्वामी का पता)	15.Share of Owner (भू-स्वामी का हिस्सा)	16 .GP Resolution No. and Date (ग्रा०प० प्रस्ताव संख्या एवं तिथि)
रामू	बृज लाल	निo ग्राम	1/3	1/2020 : 2020-09-01 00:00:00

17.Remark (अभियुक्ति) -

Assistant Record Officer

(सहायक अभिलेख अधिकारी)

18.Printed Date (मुद्रित तिथि)	19.Printing id (मुद्रित आईडी)	20.Service Charge (सेवा प्रभार)	21.Place of Issue (जारी करने का स्थान)	22.QR Code (क्यूआर कोड)	Digital Signature (डिजिटल सिग्नेचर)

उत्तर प्रदेश

अधिकार अभिलेख

प्ररूप- तीन

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता(भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम,2020

ग्राम/नगर.. देवरी कला.. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक... 49..तहसील...शहपुरा...जिला.. डिंडोरी

सरल क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लाक संख्यांक	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	पूर्ववर्ती सर्वेक्षण संख्यांक	1. क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) 2. भू-राजस्व (रुपये में)	भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है।	1. भूमिस्वामी / सरकारी पट्टेदार का नाम 2. उसकी माता / पिता / पति / पालक का नाम 3. निवास का पता	अधिकार की प्रकृति	संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार के हित की सीमा	1. अधिभोगी कृषक का नाम (यदि कोई हो) 2. उसकी माता / पिता / पति का नाम 3. निवास का पता	भूमि पर चिल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	अभ्युक्तियां 1. सिंचाई संबंधी प्राप्तिथिति 2. अन्य ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	278	4		209	आवासीय	फूलचद पिता लालसाय विर्सजन पिता लालसाय	भूमि स्वामी	½ ½			

मध्य प्रदेश

अध्याय 5

स्वामित्व में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना- सी.ओ.आर.एस और ड्रोन

उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्र बनाने के लिए सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (सी.ओ.आर.एस.) नेटवर्क के साथ सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियां भूखंडों के आयामों की आसान पहचान को सक्षम करती हैं।

पूरे देश को कवर करने के लिए लगभग 2000 कुशल जनशक्ति को नियोजित करने वाली कुल 500-600 ड्रोन टीमें।

उच्च गुणवत्ता सर्वेक्षण ग्रेड यूएवी/ ड्रोन 1:500 के पैमाने पर +/- 5 सेमी की सटीकता के साथ मानचित्र तैयार करने में सक्षम बनाता है।

567 सीओआरएस स्टेशनों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, यानी एक भू-स्थितिगत बुनियादी ढांचा, जिसका उपयोग कई राज्यों में प्रचलित श्रृंखला सर्वेक्षणों को बदलने के लिए किया जा सकता है।

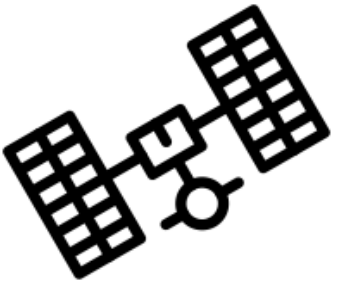

इससे लोक निर्माण कार्यों के आकलन और जांच में सभी विभागों को लाभ मिलेगा।

स्वामित्व में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना - डिजी-लॉकर और डैशबोर्ड

स्वामित्व डैशबोर्ड

ऑनलाइन निगरानी प्रणाली - स्वामित्व योजना की वास्तविक समय प्रगति निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड।

डिजिलॉकर ऐप

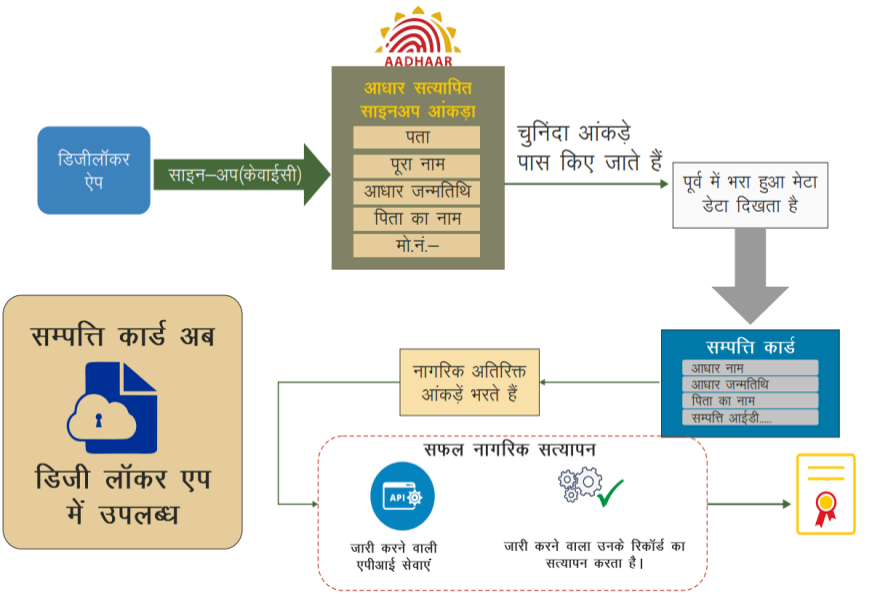

प्रॉपर्टी कार्ड अब डिजिलॉकर ऐप में उपलब्ध हैं।

लाभार्थी अब डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से संपत्ति कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

अध्याय 6

कवरेज

- *नौ राज्यों में पायलट चरण - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।*
- *चरणों में कार्यान्वयन - लगभग 6.62 लाख गांवों का कवरेज।*
- *50,000 गांवों को अप्रैल 2020-मार्च 2021 तक और देश भर के शेष गांवों को 2021-25 तक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।*

योजना की व्यापक गतिविधिया

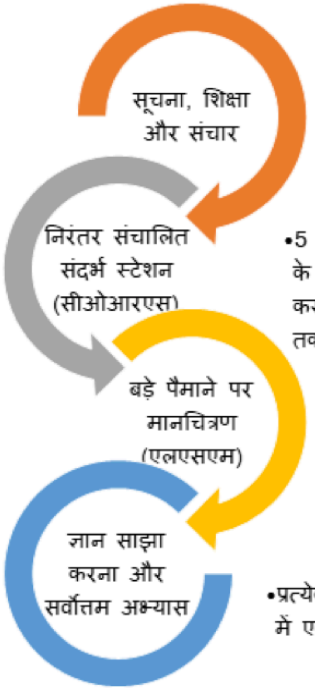

- जागरूकता अभियान- ग्राम सभाओं,वॉल पेंटिंग आदि के माध्यम से लाभ
- 5 सेमी सटीकता के साथ मानचित्र बनाने के लिए स्टेशनों के नेटवर्क का उपयोग करना। भारत में पहली बार हो रही है इस तकनीक का इस्तेमाल
- ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण की गई छवियों का उपयोग करके आबाद भूमि में संपत्ति की सीमाओं का मानचित्रण
- प्रत्येक राज्य विशिष्ट गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जो बदले में एक क्रॉस-लर्निंग अवसर है

अध्याय 7

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ

11 अक्टूबर 2020 को, योजना के पहले मील के पत्थर के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री ने छह पायलट चरण राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश) के 763 गांवों के लगभग 1 लाख संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण की शुरुआत की।

अध्याय 8

संपत्ति के मालिकों और ग्रामीण परिदृश्य के लिए लाभ

स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के निवासियों पर प्रत्यक्ष, दीर्घकालिक प्रभाव की कल्पना करती है।

प्रभाव के चार पहचाने गए व्यापक क्षेत्र

संपत्ति के मालिकों और ग्रामीण परिदृश्य के लिए स्वामित्व योजना के नेतृत्व में लाभ

समावेशी समाज

पूरे इतिहास में, विद्वानों और विकास विशेषज्ञों ने 'सम्पत्ति अधिकारों तक पहुंच' को 'गांवों में कमजोर आबादी के सामाजिक-आर्थिक मानकों में सुधार' के साथ जोड़ा है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य उसी को सक्षम करना है।

भूमि शासन

दुनिया में भौतिक संपदा के निर्माण के उद्देश्य से किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए भूमि एक आवश्यक संसाधन है। स्पष्ट रूप से सीमांकित आबादी क्षेत्र की कमी के कारण भूमि-संघर्ष के मामलों की संख्या अधिक हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत और दुनिया भर में लाखों लोग भूमि संघर्षों के प्रभाव से पीड़ित हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों के मूल कारण का समाधान करना है।

स्थायी आवास

बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्रों का निर्माण, जिससे बुनियादी ढांचे जैसे स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नदियों, स्ट्रीट लाइट, सड़कों आदि में धन के कुशल आवंटन और पहुंच में वृद्धि के माध्यम से सुधार हो सके।

आर्थिक विकास

इस योजना का मुख्य परिणाम लोगों को अपनी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में मुद्रीकृत करने में मदद करना है। इसके अलावा, उन राज्यों में संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करके भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जहां यह लगाया जाता है, जिससे निवेश में वृद्धि होती है और व्यापार करने में आसानी होती है।

अध्याय 9

सफलता की कहानियां

स्वामित्व योजना के तहत लिया गया ऋण

उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के नवाबगंज तहसील नवाबगंज के गांव मोहम्मदपुर चौकी में एक महिला गृहस्वामी **श्रीमती रामरती** ने अपने घर की मरम्मत और अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए एक हाथ गाड़ी की खरीद के लिए 20,000 रुपये का ऋण लिया है।

मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम अबगांवकला के श्री **रामभरोसे विश्वकर्मा** को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के खिलाफ स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के आधार पर **21.14 लाख रुपये का मुआवजा** मिला है ।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गांवों की सफलता की कहानियां

पश्तैनी जमीन विवाद का निपटारा

श्री रामगोपाल, श्री चंद्रभान और श्री हरिश्चंद्र, ग्राम वाघेरा, तहसील, तहरोली के निवासी

उनकी पुश्तैनी जमीन का विवाद कई सालों से लंबित था। पूर्व में विवादों को निपटाने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं रहे और पैतृक भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सका। स्वामीत्व संपत्ति कार्ड (घरौनी) के माध्यम से, भूमि का सीमांकन सफलतापूर्वक किया गया, जिससे उनके बीच लंबे समय से लंबित विवादों का निपटारा हुआ।

विवाद का निपटारा- अतिक्रमण हटाना

श्री सुवेन्द्र प्रकाश, निवासी ग्राम पाठा, तहसील गरोठा

श्री सुवेंद्र के घर की ओर जाने वाले भूमि पार्सल पर अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके घर तक जाने के लिए केवल एक संकीर्ण मार्ग था, जिससे असुविधा हुई। स्वामीत्व योजना के माध्यम से अतिक्रमण को पहचानने और हटाने का प्रयास किया गया, जिससे मार्ग चौड़ा हो गया और मालिक के लिए आवाजाही में आसानी हुई।

स्वामित्व योजना के माध्यम से बैंक ऋण प्राप्त करना

श्री रामप्रकाश, निवासी ग्राम चितगुवन, मोठो तहसील

अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रामप्रकाश के पास कमाई के सीमित स्रोत हैं, जो उन्हें अपनी दुकान स्थापित करने से रोकता है। स्वामित्व योजना के तहत जारी संपत्ति कार्ड के आधार पर भूमि पार्सल नं। २५ गाँव में, श्री रामप्रकाश ने ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक से संपर्क किया, जिस पर बैंक ने सहमति व्यक्त की

उत्तराखंड के पौड़ी और हरिद्वार जिलों के गांवों की सफलता की कहानियां

हरिद्वार जिले के ग्राम नौकरीग्रांट के श्री तेजपाल और श्री धर्म सिंह के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों का निपटारा

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से लोगों को दी खसरा-खतौनी, ड्रोन कैमरे से प्रशासन की टीम कर रही है जीपीएस मैपिंग

140 लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला

अच्छी खबर

लक्सर | हमारे संवाददाता

लक्सर तहसील के मलकपुर गांव से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई। प्रशासन की ओर से कैंप में विधायक और एसडीएम ने तीन गांवों के 140 लोगों को उनके आवास का मालिकाना हक दिलाया। उन्हें खसरा खतौनी की नकल बांटी गई।

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। इसमें नगर और देहात में मूल आबादी से अलग नंबरों पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाना है। प्रशासन तभी से इसके लिए सर्वे कर रहा है। मलकपुर में तहसील प्रशासन की ओर से कैंप लगाया गया।

कैंप में मलकपुर गांव के 56, पंचेकली के 40 व फतेहपुर जुनार के 34 लोगों को उनके आवास की भूमि पर मालिकाना हक के दस्तावेज के तौर पर खसरा खतौनी की नकलें दी गईं। भाजपा विधायक संजय गुप्ता और एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने दीप जलाकर कैंप की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस योजना से सैकड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा। अब वे जिस जमीन पर रह रहे हैं, उसके कानूनी मालिक होंगे। इसके बाद वे सरकार की आवासीय योजना व शौचालय निर्माण का अनुदान ले सकते हैं। साथ ही बैंक भी उन्हें घर बनाने के लिए बिना झिझक ऋण दे सकता है।

एसडीएम ने बताया कि तहसील के सभी गांवों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से जीपीएस मैपिंग की जा रही है। जल्दी ही सभी जगह मालिकाना हक के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। इस मौके पर प्रधान राजेंद्र सिंह, एडीओ पंचायत अरुण नैथानी, लेखपाल पंकज राजपूत, अरुण देव,

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के शिविर में ग्रामीणों को आवासीय भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपते विधायक।

भगवानपुर में स्वामित्व योजना के प्रमाण पत्र बांटे

भगवानपुर | हमारे संवाददाता

कार्यक्रम

- विधायक ममता राकेश ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ
- तहसील के दस गांवों के लोगों को प्रदान किए प्रमाण पत्र

भगवानपुर तहसील प्रांगण में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक ममता राकेश ने किया। कार्यक्रम में भगवानपुर तहसील से 10 गांव के लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। उप जिलाधिकारी स्मृता परमार ने भगवानपुर तहसील में स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे। तहसीलदार सुशील कुमार सैनी ने बुग्गावाला क्षेत्र में पहुंचकर स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किए। भगवानपुर तहसील में 829 प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर 490 लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। जिसमें रोलाहेड़ी 90, खेलड़ी 84, कदरपुर 4, बढ़ेड़ी बुजुर्ग 47, कलालहटी 50, हरचंदपुर 17, लाल वाला मजबता 74, मजाहिदपुर सती वाला 38, बुग्गावाला 30, लालवाला खालसा 62, लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि भगवानपुर तहसील में स्वामित्व योजना का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही सभी गांव का कार्य पूरा कर लोगों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।

ललित कुमार, ग्राम विकास से आरती रानी, इंदुबाला, अंकित कुमार, डेयरी विभाग से प्रदीप कुमार के अलावा ज्ञानचंद, मनीराम, प्रदीप कुमार, पृथ्वी सिंह, राजेश गुप्ता, प्रधान प्रदीप कुमार आदि मौजूद थे।

स्वामित्व योजना का लाभ उठाकर जिला पौड़ी के गोदा गांव में संपत्ति मालिकों ने अपनी जमीन पर होम स्टे का निर्माण किया

पौड़ी जिला के गोदा ग्राम में होम स्टे का निर्माण पूर्ण

अध्याय 10

ग्रामीण भूमि और संपत्ति: स्वामित्व के पहले और बाद में

क्र. सं.	प्राथमिक उद्देश्य	स्वामित्व के पहले	स्वामित्व के बाद
1	बैंकों द्वारा ग्रामीण संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण की मान्यता	अत्यधिक ब्याज दरों वाले साहूकारों पर निर्भरता	बैंक मानक प्रथाओं के अनुसार ऋण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं
2	सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे की सहायता करना	श्रमसाध्य जमीनी कार्य के आधार पर कार्यों की निगरानी	पंचायत व विभाग आसानी से अपने विकास की योजना बना सकते हैं
3	संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी के लिए प्रवर्तक	संपत्ति कार्ड की अनुपस्थिति के कारण विवाद	तकनीकी रूप से अद्यतन स्वामित्व विलेखों के माध्यम से अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा
4	संपत्ति कर के निर्धारण के लिए प्रवर्तक	कई राज्यों द्वारा संपत्ति कर संग्रह का निम्न स्तर	पंचायतों द्वारा संपत्ति करों के सुव्यवस्थित उद्ग्रहण से गांवों का सशक्तिकरण

अध्याय 11

संपत्ति कार्ड वितरण

राज्यों से संपत्ति कार्ड वितरण की कुछ झलकियां

26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में संपत्ति कार्ड वितरण

26 जनवरी 2021 को उत्तराखंड में संपत्ति कार्ड वितरण

- 24.04.2021 तक, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के लगभग 7500 गांवों में 7 लाख संपत्ति कार्ड / टाइटल डीड जारी किए गए हैं।

अध्याय 12

समर्थन : सरकार द्वारा

11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री

माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए

Narendra Modi @narendramodi · 11/10/2020

आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है।

स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है।

आज 6 राज्यों के लाखों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं।

#SampatiSeSampanta

Narendra Modi @narendramodi · 11/10/2020

चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने वाली बाराबंकी की रामरती जी को प्रॉपर्टी कार्ड से एक नया आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने बताया कि पूर्वजों की संपत्ति का कागज मिलने के बाद अब वे न केवल खुद को हर तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं, बल्कि अपना रोजगार भी बढ़ा सकेंगी। #SampatiSeSampanta

भारत के माननीय प्रधानमंत्री

Narendra Singh Tomar @nstomar · Feb 1

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

#AatmanirbharBharatKaBudget

16 69 237

Narendra Singh Tomar
@nstomar

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के 6 राज्यों के 763 गाँवों के 1.32 लाख ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक के कागज़ात सौपेंगे...

कार्यक्रम से जुड़ने के लिए निम्न लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें : pmevents.ncog.gov.in

#SwamitvaYojana

12:39 PM · Oct 9, 2020 · Twitter Web App

77 Retweets **2** Quote Tweets **300** Likes

माननीय पंचायती राज मंत्री

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री

समर्थन : मीडिया द्वारा

Jansatta

500 ड्रोन से नापेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6 लाख गांव, जानें क्या है स्वामित्व स्कीम

SVAMITVA योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन ...

Business Line

SVAMITVA scheme will unleash productive forces in agriculture and non-farm rural activities

With digital records, banks can lend freely without much documentation. Formal lease markets and digitisation of personal records can lead to ...

Mint

How PM Modi's 'Svamitva' scheme on property cards will benefit millions of rural property owners

SVAMITVA, a Central Sector Scheme of the Ministry of Panchayati Raj, which was launched by PM Modi on National Panchayati Raj Day, 24th ...

New Indian Express

Aadhaar-like property cards for villagers under Svamitva

Karnataka is one among six states selected under this scheme. Each card will get a unique identity number similar to the Aadhaar card. Svamitva ...

Zee News

रातों-रात रंक से राजा बन गया रामभरोसे, जानिए कैसे जमीन ने उगले 21.14 लाख रुपए

रातों-रात रंक से राजा बन गया रामभरोसे, जानिए कैसे जमीन ने 'उगले' 21.14 लाख रुपए.

समर्थन : ग्राम पंचायतों द्वारा

“स्वामित्व योजना को लेकर गांवों के निवासियों में काफी उत्साह व उत्सुकता है। चुना अंकन चरण के दौरान निवासियों ने अपनी भूमि की वास्तविकता को जाना है। यह योजना गाँव के निवासियों के बीच काफी चर्चा में रही है और कुछ लाभार्थियों ने होमस्टे के निर्माण के लिए बैंक ऋण भी लिया है। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से निवासी काफी खुश हैं।

श्रीमती सुमन गोदियाल,
ग्राम प्रधान, गोदा ग्राम, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड

“योजना का लाभ मिलना गांव के लिए गर्व की बात है। चुना मार्किंग चरण के दौरान कोई विवाद नहीं था और लोगों को इस्तेमाल की जा रही तकनीक के स्तर और इसमें शामिल प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर पूरा भरोसा है।

श्री विश्वनाथ कृष्ण मुजुमले,
पूर्व सरपंच, कोंधापुर गांव, पुणे, महाराष्ट्र

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार